बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक–18.6.19

संख्या–18/लो०से०अ०–12–01/2016(खण्ड)....8113..../बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1423 दिनांक–11.05.2011(अधिसूचना संख्या–19431 दिनांक–23.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित) (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–1 के अंत में राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग की निम्नांकित सेवा को कमांक–29 के रूप में तुरन्त के प्रभाव से जोड़ी जाती है:–

क0	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा उपलब्ध करने हेतु नियत समय	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निपटारा के लिए नियत समय	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निपटारा के लिए नियत समय
29	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	(क) प्राप्त आवेदन को सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस

2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु योजनावार, विहित आवेदन पत्र (प्रपत्र–1), सहमति पत्र (प्रपत्र–I एवं II) और इसके साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजातों का चेक–लिस्ट, प्रपत्र–III होगा, जो इसके साथ संलग्न हैं।

3. सेवा प्राप्त करने हेतु समाज कल्याण विभाग आवश्यकतानुसार, समय–समय, पर इससे संबंधित अन्य प्रपत्र, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/6/19

(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उपसचिव

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0. 8113 / पटना 15 दिनांक– 18.6.19

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

18/06/19

सरकार के उप सचिव।

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0. 8113 / पटना 15 दिनांक– 18.6.19

प्रतिलिपि–सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहारको मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–11.06.2019 के मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के रूप में / अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/06/19

सरकार के उप सचिव।

प्रपत्र – I

क्रम सं0	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय–सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय–सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय–सीमा
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	(क) प्राप्त आवेदन को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात अपेक्षानुसार सत्यापान एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन (प्रपत्र–I)

1. आवेदक का नाम :–...
2. पिता/पति का नाम :–..
3. लिंग :– पुरूष/महिला/ट्रांसजेंडर
4. पूरा पता :– ग्राम/मुहल्ला :–..

   पंचायत/नगर वार्ड :–....................................... नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत.................

   थाना : .... प्रखंड:–... अनुमंडल:–.............................

   जिला : .... डाकघर :– .... पिन कोड :–.............................
5. कोटि :– अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य :–
6. आधार संख्या (अनिवार्य) :– ....

   (आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)
7. सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल नं0 :–... ई–मेल. (यदि हो तो):–..............................
8. आवेदक का पहचान चिन्ह :– ....
9. आधार सीडेड बैंक खाता का विवरण (अनिवार्य) :–

   (बैंक खाता संख्या) .... (ख) आई0एफ0एस0 कोड ....

   (ग) शाखा का नाम .... (घ) शाखा कोड ....

   (नोट–बैंक खाता आवेदक के नाम से होने चाहिए, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा।)
10. आयु (यथा आधार कार्ड में अंकित) :–
11. मै निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

    (I) मेरी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।

    (II) मुझे सरकारी सेवा का पेंशन या पारिवारिक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के किसी भी योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।

    (III) मै (नाम) .... जिला .... बिहार राज्य का निवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरणी सही है। यदि कोई सूचना गलत/झूठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मैनें आवेदन में अंकित विवरणी जाँच की है और सही पाया है। पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

....

के काराण से पेंशन की अनुशंसा नहीं की जाती है।

आवेदन की प्रविष्टि ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में नहीं की गयी है/ कर दी गयी है तथा इसका संदर्भ संख्या– .... दिनांक .... हैं।

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश

श्री/श्रीमती .... को दिनांक..

से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की स्वीकृत दी जाती है।

अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

अनु0:– 1. विहित प्रपत्र में आवेदन (दो प्रतियों में रंगी फोटो सहित)।

2. बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति (आई0एफ0सी0 कोड सहित)।

3. आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।

4. आधार के उपयोग एवं बैंक सीडिंग से संबंधित सहमति पत्र।

<u>सहमति पत्र–I</u>

मैं श्री/श्रीमती .... (नाम)

आधार संख्या .... एवं मोबाईल नं0..

का धारक सहमत हूँ कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे आधार संख्या एवं मोबाईल संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं।

हस्ताक्षर / अँगुठे का निशान

तिथि :–.....................................

नाम :– ....

पता :– ....

<u>पहचानकर्त्ता :–</u>

हस्ताक्षर :–

नाम :–

पता :–

सहमति पत्र – II

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

.... बैंक (बैंक का नाम)

शाखा ....

....

.... तिथि – ....

विषय :– मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या .... को आधार संख्या (UIDAI Number) से जोड़ने के संबंध में।

महाशय,

मैं आपके बैंक में (शाखा का नाम ....) बैंक खाता संख्या–.................. का धारक हूँ। मैं अपना आधार संख्या समर्पित करता हूँ, एवं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता हूँ कि :–

- यू0आई0डी0ए0आई0, भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार/ यु0आई0डी0 संख्या को मेरे नाम से संधारित उपर्युक्त खाता संख्या के साथ जोड़ा जाय।
- इसे एन0पी0सी0आई0 (National Payment Corporation of India) में दर्ज किया जाय, ताकि भारत सरकार द्वारा "प्रत्यक्ष लाभ उन्तरण" (डी0बी0टी0) योजना के तहत लाभ मेरे उक्त खाता में प्राप्त हो सके। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि एक से अधिक प्रकार के लाभ बकाया हों तो मैं उस लाभ को इसी खाते में प्राप्त करना चाहूँगा/चाहूँगी।
- यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित करने में उपयोग किया जाय।
- मेरे निम्न अंकित मोबाईल संख्या को एस0एम0एस0 अलर्ट हेतु उपयोग में लायी जाय।

आधार के संबंध में विवरणी निम्न प्रकार है :–

आधार/ई0आई0डी0 नं0–..

आधार ग्राही का नाम (आधार कार्ड के अनुसार) ....

मै समझता हूँ कि आधार संख्या के बारे में मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना इसके साथ उपलब्ध करायी गयी है, उसे उपरोक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

(खाताधारी का हस्ताक्षर/अँगुठे का निशान)

नाम :–..

मोबाईन नं0–..

ई–मेंल ....

अनु0–आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

बैंक प्रयोग के लिए

आधार संख्या को बैंक खाता से जोड़ने की स्मपुष्टि :–

श्री/श्रमती ....का ....(बैंक) ....

शाखा, में संधारित खाता संख्या ....को आधार संख्या ....

एवं मोबाईल संख्या.. से जोड़ दिया गया है।

तिथि :–

(बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी)

प्रपत्र–II

सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात (चेक लिस्ट)

क्रम सं0	सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	1. आवेदक द्वारा दिया जाने वाला आवेदन पत्र (दो प्रतियों में), आवेदन पत्र पर आवेदक का रंगीन फोटो (छः माह के अन्दर खिंचा हुआ) चिपका होना चाहिए। 2. आवेदक का बैंक पासबुक जो अनिवार्यतः आवेदक के नाम से हो (संयुक्त खाता मान्य नहीं) की छायाप्रति जिसमें खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0 कोड अंकित हो। 3. आवेदक का आधार संख्या की छायाप्रति। 4. आधार संख्या के इस्तेमाल हेतु सहमति पत्र। 5. बैंक खाता आधार संख्या से सिडिंग हेतु सहमति पत्र।

Government of Bihar

General Administration Department

(Notification)

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड)सा0प्र0..8114..../ अधिसूचना संख्या–..8113../ दिनांक–...18.6.19...../का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/6/19

(अवनीश कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव

No-18/Lo.Se.A.-12-01/2016(Part)---8114----/ In exercise of the powers conferred by the Section-3 of Bihar Right to Public Services Act ,2011 (Bihar Act,4,2011), the following Service of Social Welfare Department is hereby added by the State Government, as serial no 29 at the end of Appendix-1 of the notification no 1423 dated 11.05.2011 (Substituted by the notification no 1943 dated 23.12.2013) (as amended from time to time) of the General Administration Department, Bihar, Patna with immediate effect :-

S. No.	Name of Service		Namely Specified Public Servant	Stipulated Time to Provide the Service	Appellate Authority	Stipulated Time for Disposal of First Appeal	Reviewing Authority	Stipulated Time for Disposal of Second Appeal
1			3	4	5	6	7	8
29	Mukhayamantri Bridhajan pension Yojna	(A) Producing Received Application to Competent Authority	Block Development Officer	21 Working Days	Sub-Divisional Officer	15 Working Days	District Magistrate	15 Working Days
		(B) Verification And Decision After Receiving Recomandation	Sub-Divisional Officer	21 Working Days	District Magistrate	15 Working Days	Divisional Commissionor	15 Working Days

2. To avail this services under Bihar Right to Public Service Act, 2011,the schemewise application form (Performa-1), Acceptation form(performa-I and II) and check list of necessry decoments to be attached in performa-II, wich are enclosed herewith.
3. The Social Welfare Department may issue other forms after Consultation with the law Department, as per requirement.

By the order of Governor of Bihar,

18/06/19

(Avaneesh Kumar Singh)

Deputy Secretary to Government.

User/hp/Sec-18/Act, Rule & Adhisuchana

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0..8114.. / पटना 15 दिनांक–..18.6.19..

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

18/06/19

सरकार के उप सचिव

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0..8114.. / पटना 15 दिनांक–..18.6.19..

प्रतिलिपि–सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहारको मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–11.06.2019 के मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के रूप में / अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/06/19

सरकार के उप सचिव।